**भारत सरकार**
**रेल मंत्रालय**

**लोक सभा**
**06.08.2025 के**
**अतारांकित प्रश्न सं. 2820 का उत्तर**

**वरिष्ठ नागरिकों के लिए रियायत**

**2820. डॉ. बच्छाव शोभा दिनेश:**

**क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

**(क) क्या यह सच है कि सरकार वरिष्ठ नागरिकों को रेल टिकटों में छूट देने पर पुनर्विचार कर रही है;**

**(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;**

**(ग) सरकार को रेल टिकटों में वरिष्ठ नागरिकों को छूट बंद करने से किस प्रकार लाभ हुआ और छूट बंद करने के क्या कारण हैं; और**

**(घ) सरकार पर रेल टिकटों में वरिष्ठ नागरिकों और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को छूट देने से कितना वित्तीय बोझ पड़ेगा?**

**उत्तर**

**रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री**

**(श्री अश्विनी वैष्णव)**

**(क) से (घ): भारतीय रेल समाज के सभी वर्गों को किफायती सेवाएं प्रदान करने का प्रयास करती है और 2023-24 में यात्री टिकटों पर 60,466 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई है। इससे रेलवे में यात्रा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए औसतन 45% की रियायत मिलती है। दूसरे शब्दों में, यदि सेवा प्रदान करने की लागत 100 रुपए है, तो टिकट की कीमत मात्र 55 रुपए है। यह रियायत सभी यात्रियों के लिए जारी है। इसके अलावा, विकलांग व्यक्तियों (दिव्यांगजन) की 4 कोटियां, रोगियों की 11 कोटियां और छात्रों की 8 कोटियां जैसी कई कोटियों के लिए इस सब्सिडी राशि से इतर रियायतें भी जारी हैं।**

*********